शास्तियों में से कोई शास्ति सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश पारित करेगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि सरकारी सेवक को ऐसी शास्ति के विरुद्ध जिसके अधिरोपण का प्रस्ताव है, अभ्यावेदन करने का कोई अवसर दिया जाए :

परन्तु ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें आयोग से परामर्श आवश्यक है, जांच का अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आयोग को उसकी सलाह के लिए भेजा जाएगा और सरकारी सेवक पर ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश करने से पूर्व ऐसी सलाह को ध्यान में रखा जाएगा ।

[सं० 11012/2/77-स्थापना-क]

आर० सी० गुप्ता, उप सचिव

New Delhi, the 16th August, 1978

S.O. 2465.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 15 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 11 should be imposed on the Government servant, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the government servant any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed :

Provided that in every case where it is necessary to consult the Commission, the record of the inquiry shall be forwarded by the disciplinary authority to the Commission for its advice and such advice shall be taken into consideration before making an order imposing any such penalty on the Government servant."

[No. 11012/2/77-Ests. A]

R. C. GUPTA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 16 अगस्त 1978

का० आ० 2465—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 1978 है ।

(2) वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के नियम 15 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"(4) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप के सभी अनुच्छेदों या उनमें से किसी अनुच्छेद पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर, यह राय है कि नियम 11 के खण्ड (v) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट